(35)

# न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर डुण्डा उत्तरकाशी।

वाद संख्या 193/2012–13 धारा– 143 ज.वि.अ 1950

वादी– 1–श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी ।

बनाम

प्रतिवादीगण– 1–जय प्रकाश पुत्र रामेश्वर
2–केदार दत्त पुत्र रामेश्वर
3–सत्य प्रकाश पुत्र रामेश्वर
निवासीगण ग्राम पुजारगांव लगा हिटाणू, पट्टी धनारी तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।

:: निर्णय ::

वादिनी ने दिनांक 06.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हिटाणू, पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के फसली वर्ष 1418–1423 के खाता संख्या–43 में दर्ज खसरा संख्या–1749 रक्वा 0.016हे0 भूमि अन्य खातेदारो के साथ–साथ वादिनी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज अभिलेख है तथा दावी भूमि वादिनी के हिस्से व कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का आवासीय भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। वादिनी द्वारा सराय ऐक्ट में पंजीकृत किये जाने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि करवाना आवश्यक हो गया है। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या–43 की नकल प्रस्तुत की है ।

प्रार्थना पत्र की जाचं तहसीलदार डुण्डा से करवाई गई। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी ने अपनी जाचं दिनांक 16.05.2013 में उल्लेख किया कि ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या–43 में दर्ज खसरा संख्या–1749 रक्वा 0.016हे0 भूमि डा0 एच0एस0 नौटियाल प्र0 मंजरा देवी शि0 एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम दर्ज है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण भवन निर्माणधीन है। दावी भूमि पर कृषि कार्य (बागवानी, उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुकुट पालन आदि) नहीं किया जाता है। दावी भूमि के चारों ओर बंजर खाली खेत एवं भवन निर्मित है। राजस्व निरीक्षक भटवाडी धनारी एवं तहसीलदार डुण्डा ने दावी भूमि को गैर कृषि/आवासीय भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गई है।

वाद दर्ज कर पक्षकरों को सम्मन प्रेषित किये गये। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने तथा पी0डब्लू0–2 श्री मनीलाल पुत्र श्री दिल्लु उम्र–40 वर्ष ग्राम पुजारगांव (हिटाणू) पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के बयान परिक्षित करवाये। वादी ने अपने बयानो मे कहा कि मौजा पुजारगांव/हिटाणू के खसरा संख्या–1749 रक्वा 0.016हे0 भूमि अन्य खातेदारो के साथ मेरे नाम दर्ज अभिलेख है दावी भूमि पर शिक्षण संस्थान का भवन निर्माणाधीन है। मैं उक्त दावी खसरा को सराय ऐक्ट में पंजीकृत कराने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावी भूमि पर अब किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। दावी भूमि के चारो ओर खाली बंजर खेत एवं भवन निर्मित है। वादिनी ने अपने बयानो में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया है। पी0डब्लू0–2 श्री मनीलाल पुत्र दिल्लू

क्रमश–2

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan
& Prashikshan Samiti
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

(13)

# न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर डुण्डा उत्तरकाशी।

वाद संख्या 169/2012–13 धारा– 143 ज.वि.अ.1950

वादी– 1–श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी ।

बनाम

प्रतिवादीगण– 1–जगदीश प्रसाद पुत्र श्री भगवान दत्त
2–बद्री दत्त पुत्र भगवान दत्त
3–शान्ति प्रसाद पुत्र गुरू प्रसाद
4–राकेश प्रसाद पुत्र गुरू प्रसाद
5–डब्बली देवी पत्नी गुरूप प्रसाद
निवासीगण ग्राम पुजारगांव लगा हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।

:: निर्णय ::

वादिनी ने दिनांक 06.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हिटाणू, पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के फसली वर्ष 1418–1423 के खाता संख्या–40 में दर्ज खसरा संख्या–1972 रक्वा 0.049हे0 भूमि अन्य खातेदारो के साथ–साथ वादिनी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज अभिलेख है तथा दावी भूमि वादिनी के हिस्से व कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का आवासीय भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। वादिनी द्वारा सराय ऐक्ट में पंजीकृत किये जाने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि करवाना आवश्यक हो गया है। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या–40 की नकल प्रस्तुत की है ।

प्रार्थना पत्र की जाचं तहसीलदार डुण्डा से करवाई गई। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी ने अपनी जाचं दिनांक 16.05.2013 में उल्लेख किया कि ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या–40 में दर्ज खसरा संख्या–1972 रक्वा 0.049हे0 भूमि डा0 एच0एस0 नौटियाल प्र0 मंजरा देवी शि0 एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम दर्ज है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण भवन निर्माणधीन है। दावी भूमि पर कृषि कार्य (बागवानी, उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुकुट पालन आदि) नहीं किया जाता है। दावी भूमि के चारों ओर बंजर खाली खेत एवं भवन निर्मित है। राजस्व निरीक्षक भटवाडी धनारी एवं तहसीलदार डुण्डा ने दावी भूमि को गैर कृषि/आवासीय भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गई है।

वाद दर्ज कर पक्षकरों को सम्मन प्रेषित किये गये। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने तथा पी0डब्लू0–2 श्री मनीलाल पुत्र श्री दिल्लु उम्र–40 वर्ष ग्राम पुजारगांव (हिटाणू) पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के बयान परिक्षित करवाये। वादी ने अपने बयानो में कहा कि मौजा पुजारगांव/हिटाणू के खसरा संख्या–1972 रक्वा 0.049हे0 भूमि अन्य खातेदारों के साथ मेरे नाम दर्ज अभिलेख है दावी भूमि पर शिक्षण संस्थान का भवन निर्माणाधीन है। मैं उक्त दावी खसरा को सराय ऐक्ट में पंजीकृत कराने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावी भूमि पर अब किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। दावी भूमि के चारो ओर खाली बंजर खेत एवं भवन निर्मित है। वादिनी ने अपने बयानो में

क्रमश–2

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan & Prashikshan Samiti
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

उम्र–40 वर्ष ने वादिनी के कथन का समर्थन करते हुये कहा कि दावी भूमि वादिनी के नाम पर दर्ज अभिलेख है तथा वादिनी के कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण संस्थान हेतु भवन निर्माणाधीन है तथा दावी भूमि पर किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नही हो रहा है।

वाद पत्रावली का सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि दावी भूमि अब कृषि बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन कुकुट पालन के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है तथा दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण भवन निर्माणाधीन है। जिस पर अब कृषि कार्य नहीं हो सकता है। इसलिये दावी भूमि को अकृषित/आवादी घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

:: आदेश ::

ग्राम पुजारगॉव, पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी के खतौनी फसली वर्ष 1418–1423 में डा0 एच0एस0 नौटियाल प्र0 मंजरा देवी शि0 एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू के नाम खाता संख्या–43 में दर्ज खसरा संख्या–1749 रक्वा 0.016 हे0 भूमि को गैर कृषि/आबादी क्षेत्र घोषित किया जाता है। तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार डुण्डा को निःशुल्क नियत रीति से गैर कृषि/आबादी किस्म भूमि में दर्ज करने हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार संचित हो।

(के0 के0 सिंह )
असिस्टेन्ट कलक्टर
डुण्डा, उत्तरकाशी।

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 20.05.2013 को खुले न्यायालय में स्वहस्ताक्षरित व न्यायालय की मुद्रा लगाकर उदघोषित ।

असिस्टेन्ट कलक्टर
डुण्डा, उत्तरकाशी।

TRUE COPY

नायक /रीडर
उ० म०/अ० क०/वि०प्रा०
विशेष विभाग अधिकारी
डुण्डा उत्तरकाशी

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan
& Prashikshan Samiti
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

नकल न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर डुण्डा।
वाद संख्या: 191/2012-13 धारा-143 ज.वि.अ.
वादिनी- श्रीमती मंजीरादेवी बनाम मुलकिया
आदि सा० पुजारगांव में निर्णय/आदेश
दिनांक 20-08-2013 की प्रमाणित प्रति
संलग्न है।

वाचक/रीडर
प० म०/अ० कि०/वि०ग्रा०
विशेष विवाह अधिकारी
डुण्डा उत्तरकाशी

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan
& Prashikshan Samiti
Hitanu Dhanari, (U.K.)

(3.0)



कहा कि मौजा पुजारगांव/हिटाणू के खसरा संख्या–1988 रक्वा 0.013हे0 भूमि अन्य खातेदारों के साथ मेरे नाम दर्ज अभिलेख है दावी भूमि पर शिक्षण संस्थान का भवन निर्माणाधीन है। मैं उक्त दावी खसरा को सराय ऐक्ट में पंजीकृत कराने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावी भूमि पर अब किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। दावी भूमि के चारो ओर खाली बंजर खेत एव भवन निर्मित है। वादिनी ने अपने बयानो मे दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया है। पी0डब्लू0–2 श्री मनीलाल पुत्र दिल्लू उम्र–40 वर्ष ने वादिनी के कथन का समर्थन करते हुये कहा कि दावी भूमि वादिनी के नाम पर दर्ज अभिलेख है तथा वादिनी के कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण संस्थान हेतु भवन निर्माणाधीन है तथा दावी भूमि पर किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नही हो रहा है।

वाद पत्रावली का सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि दावी भूमि अब कृषि बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन कुकुट पालन के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है तथा दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण भवन निर्माणाधीन है। जिस पर अब कृषि कार्य नहीं हो सकता है। इसलिये दावी भूमि को अकृषित/आवादी घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

:: आदेश ::

ग्राम पुजारगॉव, पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी के खतौनी फसली वर्ष 1418–1423 में डा0 एच0एस0 नौटियाल प्र0 मंजरा देवी शि0 एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू के नाम खाता संख्या–106 में दर्ज खसरा संख्या–1988 रक्वा 0.013 हे0 भूमि को गैर कृषि/आबादी क्षेत्र घोषित किया जाता है। तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार डुण्डा को निःशुल्क नियत रीति से गैर कृषि/आबादी किस्म भूमि में दर्ज करने हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार संचित हो।

(के0 के0 सिंह)
असिस्टेन्ट कलक्टर
डुण्डा, उत्तरकाशी।

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 20.05.2013 को खुले न्यायालय में स्वहस्ताक्षरित व न्यायालय की मुद्रा लगाकर उद्घोषित ।

असिस्टेन्ट कलक्टर
डुण्डा, उत्तरकाशी।

TRUE COPY

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan
& Prashikshan Samiti
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

(21)

# न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर डुण्डा उत्तरकाशी।

वाद संख्या 191/2012–13 धारा– 143 ज.वि.अ.1950

वादी– 1–श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी ।

बनाम

प्रतिवादीगण– 1–मुरलीधर पुत्र जगरनाथ
2–राम अवतार पुत्र रामप्रसाद
3–बैशाखू राम पुत्र राम प्रसाद
4–शिवशक्ति पुत्र धनीराम
5–शिवराम पुत्र काशीराम
6–शान्तिलाल पुत्र धनीराम
7–सोहन लाल पुत्र धनीराम
8–सिरा देवी पत्नी धनीलाल
9–विजय राम पुत्र धामू
10–प्रवीन पुत्र धनीराम
निवासीगण ग्राम पुजारगांव लगा हिटाणू, पट्टी धनारी तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।

:: निर्णय ::

वादिनी ने दिनांक 06.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हिटाणू, पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के फसली वर्ष 1418–1423 के खाता संख्या–106 में दर्ज खसरा संख्या–1988 रक्वा 0.013हे0 भूमि अन्य खातेदारो के साथ–साथ वादिनी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज अभिलेख है तथा दावी भूमि वादिनी के हिस्से व कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का आवासीय भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। वादिनी द्वारा सराय ऐक्ट में पंजीकृत किये जाने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि करवाना आवश्यक हो गया है। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या–106 की नकल प्रस्तुत की है ।

प्रार्थना पत्र की जाचं तहसीलदार डुण्डा से करवाई गई। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी ने अपनी जाचं दिनांक 16.05.2013 में उल्लेख किया कि ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या–106 में दर्ज खसरा संख्या–1988 रक्वा 0.013हे0 भूमि डा0 एच0एस0 नौटियाल प्र0 मंजरा देवी शि0 एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम दर्ज है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण भवन निर्माणधीन है। दावी भूमि पर कृषि कार्य (बागवानी, उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुकुट पालन आदि) नहीं किया जाता है। दावी भूमि के चारों ओर बंजर खाली खेत एवं भवन निर्मित है। राजस्व निरीक्षक भटवाडी धनारी एवं तहसीलदार डुण्डा ने दावी भूमि को गैर कृषि/आवासीय भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गई है।

वाद दर्ज कर पक्षकरों को सम्मन प्रेषित किये गये। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने तथा पी0डब्लू0–2 श्री मनीलाल पुत्र श्री दिल्लु उम्र–40 वर्ष ग्राम पुजारगांव (हिटाणू) पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के बयान परिक्षित करवाये। वादी ने अपने बयानो मे

क्रमश–2

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan
& Prashikshan Samiti
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर डुण्डा उत्तरकाशी।

वाद संख्या 194 / 2012–13 धारा– 143 उ.ज.वि अ 1950

वादी– श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण / प्रशिक्षण संस्था हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी ।

बनाम

प्रतिवादीगण– 1–अब्बल सिंह पुत्र अमर सिंह
2–मखन सिंह पुत्र अमर सिंह
3–केन्द्र सिंह पुत्र अतर सिंह
4–कुलवीर पुत्र अतर सिंह
5–विजना देवी पुत्र अतर सिंह
6–नैन सिंह पुत्र नारायण सिंह
7–मुन्शी लाल पुत्र छौन्दाडू
8–कौरा देवी पत्नी छौन्दाडू
9–शम्भू लाल पुत्र असाडू
10–विशन लाल पुत्र असाडू
निवासीगण ग्राम पुजारगांव लगा हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।

:: निर्णय ::

वादिनी ने दिनांक 06.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हिटाणू पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के फसली वर्ष 1419–1424 के खाता संख्या–4 में दर्ज खसरा संख्या–496 रक्वा 0.049हे0,482म. रक्वा 0.058हे0 भूमि अन्य खातेदारो के साथ–साथ वादिनी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज अभिलेख है तथा दावी भूमि वादिनी के हिस्से व कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का आवासीय भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। वादिनी द्वारा सराय ऐक्ट में पंजीकृत किये जाने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि करवाना आवश्यक हो गया है। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पुजारगाँव के खाता संख्या–4 की नकल प्रस्तुत की है ।

प्रार्थना पत्र की जाचं तहसीलदार डुण्डा से करवाई गई। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी ने अपनी जाचं दिनांक 16.05.2013 में उल्लेख किया कि ग्राम हिटाणू भालसी के खाता संख्या–4 में दर्ज खसरा संख्या–496 रक्वा 0.049हे0,482म. रक्वा 0.058हे0 भूमि निदेशक डा0 हरिशंकर नौटियाल मंजीरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम दर्ज है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण भवन निर्माणधीन है। दावी भूमि पर कृषि कार्य (बागवानी, उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुकुट पालन आदि) नहीं किया जाता है। दावी भूमि के चारों ओर बंजर खाली खेत एवं भवन निर्मित है। राजस्व निरीक्षक भटवाडी धनारी एवं तहसीलदार डुण्डा ने दावी भूमि को गैर कृषि / आवासीय भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गई है।

वाद दर्ज कर पक्षकरों को सम्मन प्रेषित किये गये। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादिनी

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan
& Prashikshan Samiti
Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने तथा पी0डब्लू0–2 श्री सेवक[illegible] पुत्र श्री [illegible] उम्र 52 वर्ष ग्राम पुजारगांव (हिटाणू) पट्टी धनारी तहसील डुण्डा के बयान परिक्षित कराये। वादी ने अपने बयानों में कहा कि मौजा पुजारगांव (हिटाणू) के खसरा संख्या 496 रकबा 0.049है0 482[illegible] रकबा [illegible] अन्य खातेदारों के साथ [illegible] अभिलेख है दावी भूमि पर शिक्षण संस्था[illegible] है। मैं उक्त दावी खसरा को सराय ऐक्ट में पंजीकृत कराने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावी भूमि पर अब किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। दावी भूमि के चारो ओर खाली बंजर खेत एवं भवन निर्मित है। वादिनी ने अपने बयानो में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया है। पी0डब्लू0–2 श्री सेवकराम पुत्र गौरी शंकर ने वादिनी के कथन का समर्थन करते हुए कहा कि दावी भूमि वादिनी के नाम पर दर्ज अभिलेख है तथा वादिनी के कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण संस्थान हेतु भवन निर्माणाधीन है तथा दावी भूमि पर किसी भी प्रकार से कृषि [illegible] नहीं की रहा है।

वाद पत्रावली का सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि दावी भूमि अब कृषि बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन कुकुट पालन के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है तथा दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण भवन निर्माणाधीन है। जिस पर अब कृषि कार्य नहीं हो सकता है। इसलिये दावी भूमि को अकृषित / आबादी घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

:: आदेश ::

ग्राम हिटाणू मय भालसी, पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी के खतौनी फसली वर्ष 1419–1424 में निदेशक डा0 हरिशंकर नौटियाल मंजरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम खाता संख्या–4 में दर्ज खसरा संख्या–496 रकबा 0.049है0,482म. रकबा 0.066है0 भूमि को गैर कृषि / आबादी क्षेत्र घोषित किया जाता है। तहसीलदार / सब रजिस्ट्रार डुण्डा को निःशुल्क नियत रीति से गैर कृषि / आबादी किस्म भूमि में दर्ज करने हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार संचित हो।

(के0 के0 सिंह)
असिस्टेन्ट कलक्टर
डुण्डा, उत्तरकाशी।

उक्त निर्णय / आदेश आज दिनांक 20.05.2013 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व न्यायालय की मुद्रा लगाकर उद्घोषित ।

असिस्टेन्ट कलक्टर
डुण्डा, उत्तरकाशी।

TRUE COPY

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan
& Prashikshan Samiti
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

नकल न्यायालय असिस्टेन्ट कलक्टर (डुण्डा)।

वाद संख्या 195/2012-13 धारा 143 ज.वि.अ.

वादिनी - श्रीमती मंजीरादेवी बनाम गाड़िया

आदि - ग्रा०-पुजारगाँव में निर्णय/आदेश

दिनांक 20-08-2013 की प्रमाणित प्रति

संलग्न :-

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi
& Prashikshan
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

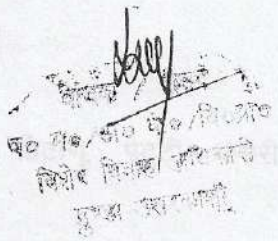

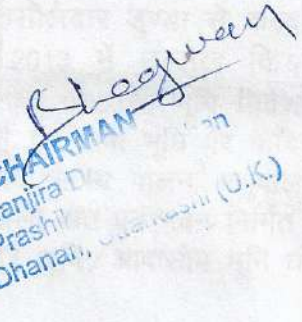

(22)

न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर डुण्डा उत्तरकाशी।

वाद संख्या 195/2012-13 धारा- 143 ज0वि0अ0 1950

वादी 1 श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी।

बनाम

प्रतिवादीगण- 1-गारिया पुत्र श्री जवारू
2-नत्थी लाल पुत्र श्री चन्द्रलाल
3-सुरेश लाल पुत्र चन्दलाल
4-पंचा देवी पत्नी चन्द्र लाल दडगाली धनारी
5-चन्द्र लाल पुत्र श्री दीपा
6-दिनेश पुत्र दीपा
7-प्यारे लाल पुत्र गोपालु
8-वृजलाल पुत्र गोपालु
9-श्यामा देवी पत्नी गोपालू
10-श्यामा देवी पुत्र गोपालु
11-सन्तराम पुत्र नकटा
12-मनीलाल पुत्र दिल्लू
13-चैतु पुत्र सफरी
14-प्रहलाद पुत्र
निवासीगण ग्राम पुजारगांव लगा हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।

:: निर्णय ::

वादिनी ने दिनांक 06.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हिटाणू पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के फसली वर्ष 1419-1424 के खाता संख्या-36 दर्ज खसरा संख्या-480रक्वा 0.053हे0 भूमि अन्य खातेदारो के साथ-साथ वादिनी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज अभिलेख है तथा दावी भूमि वादिनी के हिस्से व कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का आवासीय भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। वादिनी द्वारा सराय ऐक्ट में पंजीकृत किये जाने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि करवाना आवश्यक हो गया है। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या-36 की नकल प्रस्तुत की है ।

प्रार्थना पत्र की जाचं तहसीलदार डुण्डा से करवाई गई। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी ने अपनी जाचं दिनांक 16.05.2013 में उल्लेख किया कि ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या-36 में दर्ज खसरा संख्या-480 रक्वा 0.053हे0 भूमि निदेशक मंजरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम दर्ज है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण भवन निर्माणधीन है। दावी भूमि पर कृषि कार्य (बागवानी, उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुकुट पालन आदि) नही किया जाता है। दावी भूमि के चारों ओर बंजर खाली खेत एवं भवन निर्मित है। राजस्व निरीक्षक भटवाडी धनारी एवं तहसीलदार डुण्डा ने दावी भूमि को गैर कृषि/आवासीय भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गई है।

क्रमश-

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan
Prashikshan Samiti
...nari, Uttarkashi (U.K.)

वाद दर्ज कर पक्षकरों को सम्मन प्रेषित किये गये। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने तथा पी0डब्लू0–2 श्री मनीलाल पुत्र श्री दिल्लु उम्र–40 वर्ष ग्राम पुजारगांव (हिटाणू) पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के बयान परिक्षित करवाये। वादी ने अपने बयानो मे कहा कि मौजा पुजारगांव/हिटाणू के खसरा संख्या–480 रक्वा 0.053हे0 भूमि अन्य खातेदारो के साथ मेरे नाम दर्ज अभिलेख है दावी भूमि पर शिक्षण संस्थान का भवन निर्माणाधीन है। मैं उक्त दावी खसर को सराय ऐक्ट में पंजीकृत कराने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावी भूमि पर अब किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। दावी भूमि के चारो ओर खाली बंजर खेत एवं भवन निर्मित है। वादिनी ने अपने बयानो मे दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया है। पी0डब्लू0–2 श्री मनीलाल पुत्र दिल्लू उम्र–40 वर्ष ने वादिनी के कथन का समर्थन करते हुये कहा कि दावी भूमि वादिनी के नाम पर दर्ज अभिलेख है तथा वादिनी के कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण संस्थान हेतु भवन निर्माणाधीन है तथा दावी भूमि पर किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं हो रहा है।

वाद पत्रावली का सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि दावी भूमि अब कृषि बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन कुकुट पालन के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है तथा दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण भवन निर्माणाधीन है। जिस पर अब कृषि कार्य नहीं हो सकता है। इसलिये दावी भूमि को अकृषित/आवादी घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

:: आदेश ::

ग्राम पुजारगॉव, पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी के खतौनी फसली वर्ष 1419–1424 में निदेशक मंजरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम खाता संख्या–36 में दर्ज खसरा संख्या–480 रक्वा 0.053 हे0 भूमि को गैर कृषि/आबादी क्षेत्र घोषित किया जाता है। तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार डुण्डा को निःशुल्क नियत रीति से गैर कृषि/आबादी किस्म भूमि में दर्ज करने हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार संचित हो।

(के0 के0 सिंह )
असिस्टेन्ट कलक्टर
डुण्डा, उत्तरकाशी।

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 20.05.2013 को खुले न्यायालय में स्वहस्ताक्षरित व न्यायालय की मुद्रा लगाकर उद्घोषित ।

असिस्टेन्ट कलक्टर
डुण्डा, उत्तरकाशी।

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan
& Prashikshan Samiti
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

(18)

नकल संलग्न छाया प्रति प्रमाणित
निर्णय/आदेश न्यायालय असिस्टेन्ट कलक्टर
डुण्डा दिनांक 20-08-2013 वाद संख्या: 190/2012-13
धारा-143 ज. वि. अ. वादी रामप्यारी बनाम विजयपाल
आदि सा० पुजारगांव तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी

वाचक/पेशकार
उ० म०/अ० क्षे०/वि०प्रा०
विशेष विवाह अधिकारी
डुण्डा उत्तरकाशी

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan
& Prashikshan Samiti
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

# न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर डुण्डा उत्तरकाशी।

वाद संख्या 190/2012--13 धारा– 143 ज.वि.अ.1950

वादी 1–श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी।

बनाम

प्रतिवादीगण– 1–राम नाथ पुत्र श्री राम स्वरूप
2–श्रीमती पूर्णा देवी पत्नी रामस्वरूप
3–श्रीमती झाबा देवी पत्नी रामस्वरूप
4–दशरथ प्रसाद पुत्र ऋषिराम
5–हर्षमणि पुत्र ऋषिराम
6–हरिशरण पुत्र ऋषिराम
7–ज्ञानानन्द पुत्र जमुना प्रसाद
8–सचिता नन्द पुत्र जमुना प्रसाद
9–नित्या नन्द पुत्र जमुना प्रसाद
10–गुणा नन्द पुत्र रामकृष्ण
11–वैज राम पुत्र रामकृष्ण
निवासीगण ग्राम पुजारगांव लगा हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।

:: निर्णय ::

वादिनी ने दिनांक 06.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हिटाणू, पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के फसली वर्ष 1418–1423 के खाता संख्या–126 में दर्ज खसरा संख्या–1750 रक्वा 0.019हे0, 1756 रक्वा 0.010हे0 भूमि अन्य खातेदारो के साथ–साथ वादिनी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज अभिलेख है तथा दावी भूमि वादिनी के हिस्से व कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का आवासीय भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। वादिनी द्वारा सराय ऐक्ट में पंजीकृत किये जाने हेतु दावी भूमे को गैर कृषि भूमि करवाना आवश्यक हो गया है। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या–126 की नकल प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र की जाचं तहसीलदार डुण्डा से करवाई गई। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी ने अपनी जाचं दिनांक 16.05.2013 में उल्लेख किया कि ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या–126 में दर्ज खसरा संख्या–1750 रक्वा 0.019हे0,1756 रक्वा 0.010हे0 भूमि डा0 एच0एस0 नौटियाल प्र0 मंजरा देवी शि0 एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम दर्ज है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण भवन निर्माणधीन है। दावी भूमि पर कृषि कार्य (बागवानी, उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुकुट पालन आदि) नहीं किया जाता है। दावी भूमि के चारों ओर बंजर खाली खेत एवं भवन निर्मित है। राजस्व निरीक्षक भटवाडी धनारी एवं तहसीलदार डुण्डा ने दावी भूमि को गैर कृषि/आवासीय भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गई है।

वाद दर्ज कर पक्षकरों को सम्मन प्रेषित किये गये। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने तथा पी0डब्लू0–2 श्री मनीलाल पुत्र श्री दिल्लु उम्र–40 वर्ष ग्राम पुजारगांव (हिटाणू) पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के बयान परिक्षित करवाये। वादी ने अपने बयानो मे,

क्रमशः–

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan & Prashikshan Samiti
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

(16)



कहा कि मौजा पुजारगांव/हिटाणू के खसरा संख्या–1750 रक्वा 0.039हे0,1758 रक्वा 0.010हे0 भूमि अन्य खातेदारो के साथ मेरे नाम दर्ज अभिलेख है दावी भूमि पर शिक्षण सस्थान का भवन निर्माणाधीन है। मै उक्त दावी खसरा को सराय ऐक्ट में पंजीकृत कराने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावी भूमि पर अब किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नही किया जा रहा है। दावी भूमि के चारो ओर खाली बंजर खेत एवं भवन निर्मित है। वादिनी ने अपने बयानो में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया है। पी0डब्लू0–2 श्री मनीलाल पुत्र दिल्लू उम्र–40 वर्ष ने वादिनी के कथन का समर्थन करते हुये कहा कि दावी भूमि वादिनी के नाम पर दर्ज अभिलेख है तथा वादिनी के कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण संस्थान हेतु भवन निर्माणाधीन है तथा दावी भूमि पर किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नही हो रहा है।

वाद पत्रावली का सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि दावी भूमि अब कृषि बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन कुकुट पालन के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है तथा दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण भवन निर्माणाधीन है। जिस पर अब कृषि कार्य नहीं हो सकता है। इसलिये दावी भूमि को अकृषित/आवादी घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

:: आदेश ::

ग्राम पुजारगॉव, पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी के खतौनी फसली वर्ष 1418–1423 में डा0 एच0एस0 नौटियाल प्र0 मंजरा देवी शि0 एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू के नाम खाता संख्या–126 में दर्ज खसरा संख्या–1750 रक्वा 0.019हे0,1756 रकवा 0.010हे0 भूमि को गैर कृषि/आबादी क्षेत्र घोषित किया जाता है। तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार डुण्डा को निःशुल्क नियत रीति से गैर कृषि/आबादी किस्म भूमि में दर्ज करने हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार संचित हो।

(के0 के0 सिंह)
असिस्टेन्ट कलक्टर
डुण्डा, उत्तरकाशी।

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 20.05.2013 को खुले न्यायालय में स्वहस्ताक्षरित व न्यायालय की मुद्रा लगाकर उद्घोषित ।

असिस्टेन्ट कलक्टर
डुण्डा, उत्तरकाशी।

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan
& Prashikshan Samiti
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

(14)

नकल न्यायालय असिस्टेन्ट कलक्टर डुण्डा।
वाद संख्या 189/2012-13 धारा-143 ज०वि०अ०
वादिनी- श्रीमती मंजीरादेवी बनाम जगदीश
आदि सा० पुजारगाँव में निर्णय/आदेश
दिनांक 20-08-2013 की प्रमाणित प्रति
संलग्न :-

वाचक/रीडर
प० म०/अ० क०/सि०प्रा०
विशेष विवाह अधिकारी
डुण्डा उत्तरकाशी

CHAIRMAN
Smt. Manjira Devi Shikshan
& Prashikshan Samiti
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)